


निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी सायलान के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि हस्तगत प्रकरण सायलान/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/वादीगण अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक न्यायाधीश कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक न्यायाधीश कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)